प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा **दिनाँक 07.07.2026**

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर विद्युत तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) व 03 अन्य अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे एवं निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे (.312, .315 बोर), 04 जिंदा (.312, .315 बोर) व 02 खोखा कारतूस(.312, .315 बोर) 01 ईको गाड़ी, लगभग 04 क्विंटल चोरी किया हुआ तार व तार काटने के विभिन्न उपकरण बरामद ।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-</u>

अवगत कराना है कि जनपद बागपत में विगत दिनों से विद्युत एवं संचार संबंधी तार चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थीं, जिनकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा लगातार सुरागरसी, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर जानकारी संकलित की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 07.07.2026 को थाना खेकड़ा पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि तार चोरी की घटनाओं में संलिप्त एक गिरोह थाना खेकड़ा क्षेत्र में किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल क्षेत्र में सघन चेकिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की तलाशी अभियान प्रारंभ किया गया। चेकिंग के दौरान ग्राम मुबारिकपुर के जंगल में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निकट पुलिस टीम को संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां

दिखाई दीं। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्तों ने स्वयं को घिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से अवैध शस्त्रों से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा संयम एवं सतर्कता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गई। इसके बाद हुई पुलिस मुठभेड़ में 02 अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए, जबकि 03 अन्य अभियुक्तों को घेराबंदी कर मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तों को तत्काल पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेकड़ा भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे एवं निशानदेही पर गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे एवं निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे (.312, .315 बोर), 04 जिंदा (.312, .315 बोर) व 02 खोखा कारतूस(.312, .315 बोर) 01 ईको गाड़ी, लगभग 04 क्विंटल चोरी किया हुआ तार व तार काटने के विभिन्न उपकरण बरामद हुए हैं।

उक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.फरमान पुत्र हबीब निवासी गली नं0 14 कैला भट्टा मुस्लिम फण्ड बैंक थाना घण्टाघर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष ।

2.कय्यूम पुत्र इलियास निवासी लक्कीपुरा 28 नम्बर थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ उम्र करीब 42 वर्ष ।

3.सारिक पुत्र उस्मान निवासी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष ।

4.नवीन उर्फ नीटू पुत्र ईश्वर निवासी सेतकुआ थाना खरखौदा जनपद मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष(घायल) ।

5.हिमांशु तोमर पुत्र सुरेन्द्र सिंह तोमर नि0 म0नं0 5 गंगापुरम कालोनी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष (घायल) ।

बरामदगी का विवरण-

- ईको गाड़ी,
- लगभग 04 क्विंटल चोरी किया हुआ तार,
- तार काटने के विभिन्न उपकरण,

- 02 अवैध तमंचे (.312, .315 बोर), 04 जिंदा (.312, .315 बोर)तथा 02 खोखा कारतूस(.312, .315 बोर)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैन्तुरा, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. व0उ0नि0 श्री सागर सिंह, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
3. उ0नि0 श्री विकास कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
4. उ0नि0 श्री दीपक कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
5. उ0नि0 श्री राहुल यादव, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
6. है0का0 489 सुनील कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
7. है0का0 886 अमित कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
8. है0का0 938 मनीष कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
9. है0का0 785 सुनी कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
10. का0 893 राहुल शर्मा, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
11. का0 164 नितिन कुमार, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
12. रि0का0 151 रवि सोलंकी, थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट **दिनाँक- 07.07.2026**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 221/2026 धारा 333 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

दिनांक 07.07.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री गौरव पुत्र सतवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त सुमित पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत, वादी के घर में तमंचा व कारतूस लेकर घुस गया। वादी की पत्नी के द्वारा शोर मचाने पर अभियुक्त को मौके से मय एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ वादी व अन्य जनता के लोगों द्वारा पकड लिया गया। वादी व जनता के लोगों द्वारा अभियुक्त सुमित पुत्र श्यामवीर को पकडकर थाना लाया गया। थाना दोघट पुलिस द्वारा अभियुक्त सुमित पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से वादी व जनता के लोगों द्वारा बरामद किये गये एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर को कब्जा पुलिस में लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 221/2026 धारा 333 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र श्यामवीर निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 334 मुनीदेव थाना दोघट।

2-रि0का0 469 अभिनव यादव थाना दोघट।

3-एचजी 483 जगपाल थाना दोघट।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक-07.07.2026

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाकर ताश से जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कुल 910 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाकर ताश से जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 910 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शाबान पुत्र कामा निवासी ग्राम बोपुरा थाना दोघट जनपद बागपत।

2-सन्नी पुत्र आनन्दपाल निवासी ग्राम गढी कांगरान थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 910 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2-का0 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

3-रि0आ0 576 अवनीश यादव थाना दोघट जनपद बागपत।

4-रि0आ0 235 दिग्विजय चौहान थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 07.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 439/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रताप पुत्र रविन्द्र निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है0का0 151 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 165 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 07.07.2026**

थाना कोतवाली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 368/26 धारा 351(4)/352/132/109(1) बीएनएस में प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07-06-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मुहम्मद आसिफ अवर अभियंता 33/11 केवी विद्धुत उपकेन्द्र बुढेरा/गठीना स्थायी पता 208/13 हजरतगंज जाटवपुरी थाना रसूलपुर फिरोजाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि मो0नं0-9068330219 के धारक व अन्य 03-04 व्यक्तियों नाम पता अज्ञात द्वारा उसके सीयूजी मो0नं0- 9193331507 पर व्हाट्सएप्प कॉल करके गोली मारने की धमकी दी गयी तथा गाली गलौचकर, लोकसेवक को भयभीत कर सरकारी कार्य में वाधा डाली। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 368/26 धारा 351(4)/352/132 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/26 धारा 351(4)/352/132/109(1) बी.एन.एस में प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1-गुड्डू उर्फ मनीष पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम ग्यासरी उर्फ गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत व 2-कन्हैया उर्फ अंकुर पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आए हैं तथा धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-गुड्डू उर्फ मनीष पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम ग्यासरी उर्फ गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-कन्हैया उर्फ अंकुर पुत्र रमेशचन्द निवासी ग्राम गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
3. उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव थाना बागपत जनपद बागपत।
4.उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
5.है0का0 415 रविन्द्र सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।
6. है0का0 492 विकेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।
7.है0का0 551 छत्रपाल सिंह थाना बागपत जनपगद बागपत।